न्यायालय : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–1, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार शर्मा (डी0जे0 केडर)

आप0 विविध संख्या : 65 / 2026

सी0आई0एस0 नंबर : 158 / 2026

जगराम उर्फ जग्गो पुत्र घनश्याम निवासी बमूलिया कला थाना अंता जिला बारां।

–प्रार्थी / अभियुक्त–

:: बनाम ::

राज0 सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बारां (राज0)

–अप्रार्थी / विपक्षी–

प्रार्थना पत्र अंतर्गत **धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**
एफ0आई0आर0 नं0 72 / 2025, पुलिस थाना केलवाड़ा
अन्तर्गत धारा 307, 112(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितः–

1– श्री कमलेश दूबे , विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से।
2– विद्वान अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

––:: आदेश ::–– दिनांक :– 10.03.2026

1– प्रार्थी / अभियुक्त जगराम उर्फ जग्गो की ओर से **धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना केलवाड़ा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 72 / 2025 के सन्दर्भ में, उसका जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहाबाद द्वारा दिनांक 27.01.2026 को खारिज किये जाने के उपरान्त माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां में प्रस्तुत किया गया, जहां से यह जमानत आवेदन विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। जमानत आवेदन की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

2– प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क किये हैं कि प्रार्थी / अभियुक्त का अपराध से कोई संबंध नहीं है, उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त लगभग दो माह से अभिरक्षा में है, जिससे कोई अनुसंधान शेष नहीं है। पुलिस द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त को बापर्दा गिरफतार किये जाने के बाद परिवादी से उसकी जो कार्यवाही शिनाख्तगी करवायी है, उसमें परिवादी ने प्रार्थी / अभियुक्त को अपने साथ घटना कारित करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान नहीं की है। इसी प्रकार के तथ्यों के आधार पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में एक

अन्य सह अभियुक्त जगारिया उर्फ जगराज का जमानत आवेदन स्वीकार किया जा चुका है। अतः माननीय राज0 उच्च न्यायालय के ''खेत सिंह बनाम राज0 राज्य'' के प्रकरण में पारित आदेशानुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी तथा अपने समर्थन में इसी प्रकरण से संबंधित अभियुक्त जगारिया उर्फ जगराज का जमानत स्वीकारोक्ति का आदेश दिनांक 05.03.2026 तथा खेत सिंह बनाम राज0 राज्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया।

3— विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से बहस में उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को गंभीर अपराध के आरोप हेतु गिरफ्तार किया गया है। अंत में जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड अग्रलिखित होना बताया गया है :—

क्र.सं.	**मुकदमा नंबर मय थाना**	**अपराध धारा**	**सी0एस0 नंबर**	**प्रकरण की वर्तमान स्थिति**
1	136/2024 थाना अंता	19/54 एक्साईज एक्ट	73/24.03.24	न्याया.जे.एम. अंता द्वारा दिनांक 06.11.24 को दोषसिद्ध कर जुर्माना
2	505/2021 कोतवाली बारां	341,323,504,34 भा0दं0सं0	394/04.10.21	—
3	247/2021 थाना अंता	19/54 एक्साईज एक्ट	149/29.06.21	न्याया.जे.एम. अंता द्वारा दिनांक 08.04.25 को दोषसिद्ध कर जुर्माना
4	115/2024 थाना अंता	341,323,34 भा0दं0सं0	102/19.04.14	—
5	60/2013 थाना बपावर कला	19/54 एक्साईज एक्ट	58/24.04.13	—
6	19/2012 थाना अंता	136 विद्युत अधि0	28/25.02.12	—
7	04/2026 थाना अंता	4/25 आर्म्स एक्ट	02/10.01.26	—

4— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पुलिस थाना केलवाड़ा की ओर से प्रस्तुत अनुसंधान पंजिका मय तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं न्यायिक दृष्टांत का अध्ययन व अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि परिवादी दारासिंह द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पुलिस थाना केलवाड़ा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करावाई गई है कि वह ग्राम गदरेटा का रहने वाला है। वह रोजाना की तरह उसके निवास स्थान से घुमने के लिए एन.एच. 27 पर जाता है। एन.एच. 27 पर उसकी दुकानें तथा उसकी बोरिंग मशीन भी उसकी दुकान पर ही खड़ी रहती हैं। वह रोजाना की तरह आज समय सुबह के 05.00 बजे करीब जैसे ही एन.एच. 27 पर पहुंचा तो कुछ व्यक्ति

उसकी बोरिंग मशीन के पास खड़े होकर अपने साथ लाये इण्डिका गाडी से पाईप डालकर जरकीन में डीजल चोरी कर रहे थे। उसने उनसे कहा कि क्या कर रहे हो तो उनमें से एक ने अपने पास की लकडी से उसके ऊपर प्रहार किया तो उसने उसका डण्डा पकड लिया तथा डण्डे को छुडाकर उसको मारने लगा तो उसके अन्य साथी दौडकर आये तथा उसके उपर अपने साथ लाये लकडी गण्डासी से मारपीट करने लगे। वह वहां से हटने लगा तो वे व्यक्ति उसके साथ मारपीट करने लगे जिनमें से एक ने उसके सिर पर मारी जिससे उसके सिर पर से खून निकल आया तथा उनमें से एक व्यक्ति ने गाडी स्टार्ट करके उसके उपर चढाने का प्रयास किया तो उसने वहां से स्वयं को हटाकर अपनी जान बचाई। अगर वह वहां से नहीं हटता तो ये व्यक्ति उसे जान से मार देते। उसके बाद उक्त व्यक्ति गाडी में डीजल की जरकीनों को रख कर शाहाबाद की तरफ निकल गये। उसके बाद वह दर्द से चिल्लाया तो उसकी दुकान पर रहने वाले कर्मचारी दौडकर आये जो उसे समरानिया सरकारी अस्पताल लेकर गए फिर उसके कर्मचारियों ने उक्त घटना की जानकारी उसके भाई सुरेन्द सिंह को दी जो सरकारी अस्पताल आया तथा जिसने उक्त घटना की जानकारी समरानिया पुलिस चौकी पर दी। समरानिया सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार लेकर वह थाने पर गया। उक्त व्यक्ति उसकी बोरिंग मशीन में से लगभग 150 लीटर डीजल चोरी करके ले गये हैं, उनको वह नहीं जानता तथा वह गाडी नंबर अंधेरा होने के कारण नहीं देख पाया। व्यक्तियों को देखकर पहचान सकता है...इत्यादि।

5— उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा प्रकरण अपराध अन्तर्गत धारा 307 बी.एन.एस. में पंजीबद्ध किया जाकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 307 एवं 112 (2) बी.एन.एस. में बनना पाया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराध के आरोप हेतु दिनांक 11.01.2026 को बापर्दा गिरफतार किया जाना बताया गया है, जिसके उपरांत प्रकरण के परिवादी दारासिंह से अभियुक्त के जेल में रहने के दौरान उसकी कार्यवाही शिनाख्तगी करवायी गयी है, जिसकी फर्द अनुसंधान पंजिका पर संलग्न है। उक्त कार्यवाही शिनाख्तगी की फर्द के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि परिवादी दारासिंह के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त जगराम उर्फ जग्गो की पहचान अपने साथ घटना कारित करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इसी प्रकरण के अन्य अभियुक्त जगारिया उर्फ जगराज का माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत स्वीकारोक्ति आदेश अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण भी उक्त सह अभियुक्त जगारिया उर्फ जगराज के समान ही प्रकट होता है, जो अन्य सह अभियुक्त महेन्द्र से भिन्न है। अनुसंधान

पंजिका पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार परिवादी द्वारा केवल अभियुक्त महेन्द्र की ही पहचान अपने साथ घटना कारित करने वाले व्यक्ति के रूप में की गयी है, जबकि जगराम उर्फ जग्गो पूर्व में किये गये उल्लेख के अनुसार नही पहचाना गया है।

अतः प्रकरण के समग्र तथ्यों, परिस्थितियों, न्यायिक दृष्टांत तथा सह अभियुक्त के बाबत माननीय राज0 उच्च न्यायालय के स्वीकारोक्ति जमानत आदेश के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत आवेदन पत्र यह न्यायालय **स्वीकार** किया जाना न्यायोचित पाता है।

5— अतः प्रार्थी/अभियुक्त **जगराम उर्फ जग्गो** का यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त संबंधित न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहाबाद जिला बारां की संतुष्टि अनुसार पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो जमानतें तथा पचास हजार रूपये राशि का स्वयं का बंधपत्र न्यायालय में उपस्थिति बाबत पेश कर तस्दीक करा दे तो उन्हें नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, बारां (राज0)

6— आदेश आज दिनांक **10.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, बारां (राज0)

RAFIK ALI
Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAFIK ALI